प्रेमरतन आदि बनाम लक्ष्मी देवी आदि

23-04-2025

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज करने की मांग किये जाने पर उभय पक्षों को मियाद के बिन्दु पर सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की भूमि रही है। जिसके विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं कालान्तर में अंतिम डिक्री पारित की गई। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स के पिता मूलचन्द बतौर पक्षकार स्थापित रहे थे तथा उनके द्वारा ही समस्त पैरवी जरिये अधिवक्ता की जा रही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित रही कार्यवाही की जानकारी अपीलांट्स को नहीं हो सकी थी तथा अपीलांट्स अपने हक व हिस्से की भूमि पर आज दिनांक तक निरन्तर काबिज काश्त रहे है। दिनांक 09–09–2024 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मौके पर आकर अपीलांट्स को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने एवं अराजी जैर का विभाजन होने का कथन किये जाने पर अपीलांट्स को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हासिल हो सकी है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने आगे कथन किया कि विधि की भी यह मंशा रही है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, ऐसी स्थिति में मियाद के तकनीकी बिन्दु को गौण रखते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य विवाद का मुख्य विवाद वादग्रस्त भूमि के विभाजन को लेकर है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स की मियांद के बिन्दु पर प्रस्तुत आपत्ति को खारिज करते हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–03–2002 व 30–12–2006 के विरूद्ध अपीलें दिनांक 29–10–2024 को पेश की गई है। जोकि आक्षेपित आदेशों के करीब 18 वर्ष के उपरान्त पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपीलें है। अपीलांट्स के पिता जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आधार पर अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलांट्स द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अब मियाद के बिन्दु पर अन्य दिगर कारण अंकित करते हुए मियाद की छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलांट्स के पिता मूलचन्द जरिये अधिवक्ता निरन्तर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे है। जिसकी ताईद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं डिक्री से पूर्णतया होती है। ऐसी स्थिति में डिक्री जारी होने की दिनांक के उपरान्त भी 60 दिन व्यतीत होने के बाद भी अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों के प्रति लापरवाही का द्योतक होना साबित है। अपीलांट्स स्वयं अपने कथनों व दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से बाधित है, कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, तथा अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपीलें देरी से प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट्स मियांद के बिन्दु पर किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2024 पार्ट। पेज 589, आरआरटी 2024 पार्ट। पेज 360, आरआरटी 2024 पार्ट। पेज 356 व आरआरटी 2017 पार्ट।। पेज 1328 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को मियाद के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–03–2002 व 30–12–2006 के विरूद्ध अपीलें दिनांक 29–10–2024 को पेश किये जाने पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज करने की मांग की गई। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट्स के पिता मूलचंद द्वारा दिनांक 01–11–2001 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादगत भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत विभाजन के प्रस्ताव में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के सहमति के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना ही अपीलांट्स ने अपनी बहस में ऐसा कोई तथ्य बयान किया है कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स के पिता की जगह किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है यदि ऐसा होता तो अपीलांट्स द्वारा कोई फौजदारी कार्यवाही की जाती जिसका भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

उपलब्ध नहीं है। इस सूरत में यह साबित है कि अपीलांट्स के पिता मूलचन्द को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से ही रही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2002 व 30–12–2006 के है जबकि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 21–04–2022 को हुई है जो कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के करीब 16 वर्ष पश्चात की है।

प्रथम तो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सहमति के आधार पर होने के कारण अपीलें पेश नहीं की जा सकती है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के करीब 18 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपील के प्रस्तुत धारा 5 मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी अपीलांट्स द्वारा कोई पर्याप्त कारण अंकित नही किये है जिससे कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024 पार्ट। पेज 360, आरआरटी 2024 पार्ट। पेज 356, आरआरटी 2024 पार्ट।। पेज 1094 पूर्णतया चस्पा होते है। अतः अपीलांट्स की अपील मियांद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर